

2018/00202

फर्द अहकाम  
(नियम-26)

न्याय आपके द्वार 2018

अज अदालत

उप जिला कलक्टर

मुकाम

रायसिंहनगर

राजू राम श. म. च. पू. राम

बनाम

सरकार

किस्म मुकदमा 138 L.R. Act.

मुकदमा नं. 65/18

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
16-5-18	<p>आज यह पत्रावली तहसीलदार (भू.अ.) रायसिंहनगर के पत्र क्रमांक/18/137. दिनांक 16-5-18 के द्वारा राजस्व लोक अदालत "न्याय आप के द्वार-2018" कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत में प्रार्थीगण के नाम चक <del>श. र. म. च. पू. राम</del> की जमाबन्दी सम्वत् 1070-73 के खाता नं. 173. में खातेदार <del>राजू नं. म. च. पू.</del> अंकित है। जिसका नाम <del>राजू राम श. म. च. पू. राम</del> है। जिसकी <del>राजू राम श. म. च. पू. राम</del> की दुरुस्ती की जाने की अभिशंषा की है।</p> <p>उक्त प्रकरण में तहसीलदार(भू.अ.) रायसिंहनगर की रिपोर्ट दिनांक 16-5-18 की पृष्ठ मजमआम में उपस्थित ग्राम वारिसान व सरपंच ने की है। उक्त विवेचन के आधार पर वाके चक <del>श. र. म. च. पू. राम</del> के खाता नं. 173. में दर्ज खातेदार <del>राजू राम</del> <del>श. म. च. पू. राम</del> दुरुस्ती की जाती है। बादी अंकन बदस्तुर रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती की जावे। इसी आशय का आदेश तहसीलदार के नाम जारी हो। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफतर हो।</p> <p>आदेश खुले मजमआम में सुनाया गया।</p>	

राजस्व लोक अदालत  
उप जिला कलक्टर  
न्याय आपके द्वार-2018  
कैम्प कोर्ट  
रायसिंहनगर  
सहायक अधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर